प्रकरण / [illegible]

5/2016 [illegible]

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/2/24	पक्षकारों द्वारा आज कण्डोलैंस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 25/4/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	25/4/24	व.क्र.उप.। पत्रावली वास्ते अवलोकन रिपोर्ट सीमाज्ञान हेतु आगामी दिनांक 28/6/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)
	28/6/24	व.क्र.उप.। पत्रावली वास्ते अवलोकन रिपोर्ट हेतु दिनांक 16/8/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)
	16/8/24	व.क्र.उप.। पत्रावली वास्ते अवलोकन रिपोर्ट हेतु आगामी दिनांक 09/10/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)
	09/10/24	व.क्र.उप.। पत्रावली वास्ते बटान रिपोर्ट हेतु आगामी दिनांक 21/11/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	21/11/24	व.क्र.उप.। पत्रावली वास्ते बटान रिपोर्ट हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/12/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)
	27/12/24	अधिवक्ताओं द्वारा आज कण्डोलैंस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 23/1/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	23/1/25	व.क्र.उप.। बटान रिपोर्ट पर सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। बटान पर मनन किया गया। वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल [illegible] (हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (जयपुर)

फर्द अहकाम

यालय

प्रभुदयाल बनाम संजय व अन्य

दमा संख्या / वर्ष 5/2016 : 9/15 / 20

नं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		लिया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के मन हो। तथा दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :—प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

मुकदमा नम्बर :—51 / 2016

उनवान

प्रभूदयाल पुत्र श्री नाथूराम, जाति कुम्हार, उम्र 68 वर्ष, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, पुलिस थाना गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादी—

बनाम

1. संजय बुनकर पुत्र भैरुलाल बुनकर उम्र 22 वर्ष
2. भैरुलाल पुत्र गणेशराम उम्र 57 वर्ष
3. कमलादेवी पत्नी भैरुलाल उम्र 53 वर्ष
4. कुलदीप पुत्र रामनारायण उम्र 29 वर्ष
5. रामनारायण पुत्र गणेशराम उम्र 55 वर्ष
6. शान्तिदेवी पत्नी रामनारायण उम्र 53 वर्ष
7. प्रियंका पत्नी कुलदीप उम्र 23 वर्ष
   समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, पुलिस थाना गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, चौमूं, कस्बा चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः—23.01.2025

वादी द्वारा वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम गोविन्दगढ़, पटवार हल्का गोविन्दगढ़, भू0अ0नि0 क्षेत्र गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता सं0 168 के खसरा नं0 585 / 1833 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 586 / 1835 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 587 / 1837 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 591 / 1825 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 592 / 1828 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 599 / 1830 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 600 रकबा 0.47 है0, कुल किता 7 का कुल

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

रकबा 0.73 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमियों के लगवा ही पूर्व दिशा की ओर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 की आबादी भूमि स्थित है तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 वादी की भूमि के सींव जोड़ है। उक्त खसरा नं0 600, 599 / 1830 की पूर्वी सीमा व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 की आबादी भूमि सींव जोड़ है। उक्त खसरा नं0 की सीमा ही इस वाद पत्र में विवादग्रस्त भूमि है। विवादग्रस्त खसरा नं0 600, 599 / 1830 के पड़ौसी प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 हैं। जिनके द्वारा विवादग्रस्त खसरा नं0 600, 599 / 1830 की सीमाओं जोकि अर्से दराज से बनी हुई हैं, जिसमें सींव डोल बनी हुई हैं, के साथ प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 द्वारा छेड़छाड़ कर वादी की भूमि खसरा नं0 600, 599 / 1830 की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमण करने की नियत से पुख्ता बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किया जा चुका है तथा उक्त दीवार में खिड़की, रोशनदान एवं गन्दे पानी का नाला आदि निकालकर फसल को नुकसान पहुंचाने पर आमादा हैं तथा वादी की भूमियों की सीमाओं को तोड़–फोड़ कर जबरन गन्दा पानी प्रवेश करवाने व सीमा पर नया निर्माण करवाने की नियत से अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं तथा वादी की भूमि की सीमाओं में निर्माण कार्य करने की चेष्ठा करते हैं तथा स्वयं की दीवार को तोड़कर वादी की भूमि की सीमा में नया निर्माण कर लेना चाहते हैं। वादी अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर निरन्तर हर प्रकार से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा सुरक्षा की दृष्टि से सींव डोल बनाकर खेती कर फव्वारे से सिंचाई कर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण का वादी की भूमि से कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण अवैद्य रुप से वादी की भूमि में गन्दे पानी का निकास करवाकर वादी को हैरान–परेशान कर देना चाहते हैं तथा वादी की खड़ी फसल को नष्ट कर देना चाहते हैं। वादी विवादित भूमि का काबिज खातेदार स्वामी है। जिस कारण वादी को उपरोक्त आराजियात का हर प्रकार से उपयोग–उपभोग करने का हक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 का विवादित भूमि खसरा नं0 600, 599 / 1830 की पूर्वी सीमा के कब्जे एवं स्वामित्व से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 का वादी की भूमि से कोई लेना–देना या संबंध सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 द्वारा अन्य असामाजिक तत्वों की मदद से दिनांक 24.07.2016 को विवादग्रस्त भूमि पर आकर वादी के कब्जे एवं स्वामित्व की विवादित भूमि के शान्तिपूर्ण उपयोग–उपभोग में व्यवधान कारित किया गया तथा जबरिया वादी को विवादित भूमि की सींव डोल के पूर्वी दिशा में बनी पुख्ता बाउण्ड्री वॉल को तोड़कर उसमें जबरिया गन्दे पानी का नाला निकालने का प्रयास किया गया, वादी की भूमि के खसरा नं0 600, 599 / 1830 की पूर्वी सीमा को तोड़कर गन्दे पानी से वादी की फसल को

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ (जयपुर)

नुकसान कारित करने की धमकी दी गई तथा वादी को बेदखल कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है जिसका विरोध वादी द्वारा किये जाने पर तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 द्वारा वादी को एलानियां धमकी दी गई कि वह शीघ्र ही विवादित भूमि की सीमाओं पर अवैद्य अतिकमण कर उस पर पुख्ता बाउण्ड्रीवॉल बनाकर उस पर खिड़की, रोशनदान आदि निकालकर एवं गन्दे पानी का नाला निकालकर वादी की फसल को नष्ट कर देंगे तथा वादी को विवादित भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग नहीं करने देंगे, जिसमें यदि वादी ने कोई आपत्ति की तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, जिस कारण वादी द्वारा वाद पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ है।

वादी द्वारा वादपत्र मय शपथ–पत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 विवादित भूमि के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग–उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना ही फसलों को नुकसान कारित करें, ना ही विवादित भूमि खसरा नं0 600, 599 / 1830 की पूर्वी सीमा पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें, ना ही खिड़की, रोशनदान व गन्दे पानी का नाला निकालें, ना ही गन्दे पानी का प्रवेश करवायें, ना ही विवादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द करें, ना ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करें, अर्थात् उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें।

प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 की ओर से जवाब वाद पत्र इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि मिन जवाबदाता प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 की पट्टे व पुश्तैनी कब्जेशुदा आबादी भूमि वादी की भूमि के पूर्वी ओर स्थित है; जिस पर मिन जवाबदातागण ने पूर्वजों के समय से करीब 30 वर्षों से अपना पुख्ता निर्माण कर रखा है व पीछे बाड़े की भूमि जिस ओर मिन जवाबदातागण के पुख्ता मकान के खिड़की, नाले, परनाले, रोशनदान इत्यादि खुलते हुए हैं एवं करीब 7 फीट अतिरिक्त छोड़ रखी है। जिस पर मिन जवाबदाता प्रतिवादीगण काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। जिसको वादी जबरदस्ती अपनी खातेदारी भूमि में मिलाने पर आमादा है तथा वादी उक्त भूमि पर कब्जा करने की गरज से आये दिन मिन जवाबदातागण से लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा रहते हैं जबकि मिन जवाबदातागण ने वादी से कई मर्तबा निवेदन किया कि आप अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा लो, यदि आपकी भूमि हमारी भूमि में आती है तो हम छोड़ देंगे। वादी ने उक्त समस्त तथ्य मनगढ़न्त व काल्पनिक अंकित किये हैं ताकि किसी भी प्रकार से मिन जवाबदातागण की बाड़े की भूमि पर अवैद्य रुप से कब्जा कर सके। जिस

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

उद्देश्य की पूर्ति हेतु वादी द्वारा आये दिन मिन जवाबदातागण के मकान के पीछे के बाड़े की भूमि के नजदीक फव्वारा सैट लगाता है, जिससे मिन जवाबदातागण की भूमि व मकान की दीवार तक पानी आता है, जिससे मकान में सीलन आकर मकान को क्षति कारित करना चाहता है। दिनांक 24.07.2016 को मिन जवाबदातागण द्वारा किसी प्रकार की कोई धमकी या अन्य कोई कृत्य नहीं किया गया है, वादी द्वारा मिथ्या तथ्य अंकित किये गये हैं, जिस कारण वादी का वाद पत्र खारिज किया जावे। वादी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं0 600, 599 / 1830 का कोई डिमार्केशन नहीं कर रखा है तथा कानूनन बिना स्वामित्व, डिमार्केशन व कब्जे के किसी भी व्यक्ति को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता तथा वादी की खातेदारी भूमि डिमार्केशन संबंधित पटवारी हल्का / तहसीलदार द्वारा सीमाज्ञान करवाने पर ही किया जासकता है तथा विवादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी भूमि होने के कारण उक्त भूमि का डिमार्केशन / सीमाज्ञान भी वादी ही करवा सकता है, ना ही मिन प्रतिवादीगण द्वारा अपने पट्टेशुदा व कब्जेशुदा पुश्तैनी स्वामित्व की आबादी भूमि के निवास हेतु पुख्ता निर्माण कर निवास किया जा रहा हैं। जिसे गलत रुप से हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से ही एवं मिन जवाबदाता अप्रार्थीगण के मकान के पीछे बाड़े की भूमि को वादी हड़प करने की गरज से वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि कानूनन बिना कब्जे व डिमार्केशन के किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

पटवारी, पटवार हल्का गोविन्दगढ़ से प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार मुस्तकिल बिन्दु खसरा नं0 602 किस्म गैर मुमकिन चाह से खसरा नं0 600 की पूर्वी सीमा के मध्य जरीब चलाई गई परन्तु इन दोनों के मध्य आवासीय मकान बने होने के कारण जरीब कार्यवाही चलाना संभव नहीं हो सका। उसके बाद मौके पर खसरा नं0 574 किस्म गैर मुमकिन चाह से खसरा नं0 599 / 1830 व खसरा नं0 600 की पूर्वी सीमा के मध्य भी आवासीय मकानात बने हुये हैं। अतः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मुस्तकिल बिन्दु खसरा नं0 574, 602 किस्म गैर मुमकिन चाह से खसरा नं0 600 व 599 / 1830 के मध्य रहवासी आवासीय मकानात होने के कारण जरीब चलाना संभव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में जरीब चलाकर सीमाज्ञान कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है व प्रार्थी भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा ई0टी0एस0 मशीन से सीमाज्ञान कार्यवाही करवाना चाहता है।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण को सुना गया। वकील वादी द्वारा विवादित भूमि का भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा ई0टी0एस0 मशीन से सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग के संबंध में किसी अन्य खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि वाके ग्राम गोविन्दगढ़, पटवार हल्का गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खसरा नं0 600 व 599/1830 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर भूमि का भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा ई0टी0एस0 मशीन से सीमाज्ञान करवाने हेतु भू–प्रबन्ध विभाग जयपुर के समक्ष वादी आवेदन प्रस्तुत कर सीमाज्ञान करवाये जाने के उपरान्त सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सख्त पाबन्द किया जाता है।

पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर,
चौमूं
सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

प्रभूदयाल पुत्र श्री नाथूराम, जाति कुम्हार, उम्र 68 वर्ष, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, पुलिस थाना गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. संजय बुनकर पुत्र भैरुलाल बुनकर उम्र 22 वर्ष
2. भैरुलाल पुत्र गणेशराम उम्र 57 वर्ष
3. कमलादेवी पत्नी भैरुलाल उम्र 53 वर्ष
4. कुलदीप पुत्र रामनारायण उम्र 29 वर्ष
5. रामनारायण पुत्र गणेशराम उम्र 55 वर्ष
6. शान्तिदेवी पत्नी रामनारायण उम्र 53 वर्ष
7. प्रियंका पत्नी कुलदीप उम्र 23 वर्ष

   समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, पुलिस थाना गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, चौमूं, कस्बा चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

मुकदमा नम्बर :–51/2016

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व आंशिक डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि वाके ग्राम गोविन्दगढ़, पटवार हल्का गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं जिला जयपुर के खसरा नं0 600 व 599/1830 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर भूमि का भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा ई0टी0एस0 मशीन से सीमाज्ञान करवाने हेतु

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0–51/2016
उनवान–प्रभूदयाल बनाम संजय व अन्य
निर्णय दिनांक:–23.01.2025

भू–प्रबन्ध विभाग जयपुर के समक्ष वादी आवेदन प्रस्तुत कर सीमाज्ञान करवाये जाने के उपरान्त सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सख्त पाबन्द किया जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 23.01.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत..................
सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)
ओहदा...........................

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	6	जोड़	2

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)